माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग-सह-अध्यक्ष, बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक-29.07.2026 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः- यथा संधारित।

सर्वप्रथम अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग-सह-उपाध्यक्ष बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड के द्वारा अध्यक्ष एवं आमंत्रित सदस्यों का स्वागत करते हुए सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों का परिचय प्राप्त किया गया।

तत्पश्चात किन्नर कल्याण बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों दवारा किन्नर समुदाय के कल्याण हेतु किए जाने वाले कार्यों के संबंध में क्रमानुसार विचार व्यक्त किया गया। बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित डॉ० राजन सिंह दवारा बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों का आई०डी० कार्ड/पहचान पत्र बनाने तथा बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड के संचालन एवं जिला स्तर पर ट्रांसजेडर समुदाय से प्राप्त शिकायत/सुझाव के अनुश्रवण हेतु किन्नर कल्याण बोर्ड के कार्यालय के संबंध में विचार व्यक्त किया गया। बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामित शांति नायक उर्फ सुरेश किन्नर एवं बॉर्ड के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा किन्नर समुदाय के कल्याण हेतु निम्न बिन्दुओं पर बैठक मे विमर्श किया गया :-

1. गरीब/असहाय किन्नर व्यक्तियों के आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, आवास, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत उद्योग लगाने हेतु सब्सीडी लाभ, तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के किन्नर व्यक्तियों के लिए प्रत्येक माह 5000/- रुपये का पेंशन लाभ देने का अनुरोध किया गया।

2. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले किन्नर व्यक्तियों तथा उन्हे रोजगार से जोड़ने हेतु अलग से कोचिंग क्लास चलाने तथा कॉम्फेड अंतर्गत सुधा मिल्क बूथ के आवंटन में किन्नर व्यक्तियों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया।

3. बिहार सरकार के द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाओं में किन्नर व्यक्तियों के लिए अलग से सीट आरक्षित किए जाने के संबंध में आगामी बैठक में निर्णय लिए जाने हेतु अनुरोध किया गया।

4. किन्नर समुदाय के व्यक्तियों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सरकार के विभिन्न आयोगों, बोर्डों, निगमों, सोसाइटी में सदस्य के रूप में चयनित करने का अनुरोध किया गया।

5. किन्नर समुदाय के व्यक्तियों के साथ भेदभाव एवं हिंसा से बचाव हेतु गृह विभाग के प्रतिनिधि दवारा अवगत कराया गया कि राज्य/जिला स्तर पर ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल गठित है जो सुचारू रूप से कार्यरत है। किन्नर समुदाय के हित एवं उनके शिकायतों को दर्ज करने के लिए सुलभ संपर्क हेतु सभी जिलों में गठित ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल के सदस्यों के नाम एवं मोबाइल नंबर से संबंधित विवरणी उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया।

6. 18 वर्ष से कम आयु के किन्नर बच्चों के साथ शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु विभिन्न विभागो से अनुरोध किया गया। सरकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर नाम एवं लिंग परिवर्तन करने की प्रक्रिया को सुलभ बनाने तथा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में ट्रांसजेंडर समुदाय को प्रतिनिधित्व देने, सरकारी एवं निजी वियालयों में छात्र/छात्राओं के नामांकन, प्रपत्र/पंजी में लिंग संबंधी कॉलम में ट्रांसजेंडर कॉलम अलग से निर्धारित करने एवं ट्रांसजेंडर समुदाय के छात्र-छात्राओं को नामांकन पर विशेष ध्यान दिए जाने का अनुरोध किया गया।

7. बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित अनुप्रिया सिंह द्वारा **उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के प्रावधानों को लागू करने तथा किन्नरों के कल्याण हेतु किये जाने वाले कार्यों के संबंध में जागरूकता/संवेदीकरण कार्यक्रम कर प्रचार-प्रसार करने तथा सभी विभागों में नामित शिकायत निवारण पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी के नाम एवं विवरणी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।**

- किन्नर कल्याण बोर्ड में नामित सदस्यों को अनुमान्य भत्ता एवं अन्य सुविधा दिए जाने के बिन्दु पर सहमति व्यक्त की गयी। किन्नर कल्याण बोर्ड गठन नियमावली, 2015 के नियम-11 निम्न प्रकार है:- "मानदेय- बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य का पद बिल्कुल अवैतनिक एवं स्वैच्छिक होगा, लेकिन प्रत्येक बैठक हेतु प्रत्येक सदस्य को 2000/- (दो हजार) की मानदेय राशि भुगतेय होगी। इसके अलावा इन्हें कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।"

- बैठक में उपस्थित बिहार कौशल विकास मिशन के प्रतिनिधि दवारा बताया गया कि किन्नर समुदाय के व्यक्तियों के कल्याण हेतु सभी जिलों में प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे हैं जिसके लिए प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण हेतु दो प्रशिक्षण पदाधिकारी नामित किए गए हैं तथा किन्नर समुदाय को नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

- विमर्श के क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि उनके 163 नगर पालिकाओं में से सभी ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से शौचालय बनाने हेतु 163 नगर निकाय में से 45 नगर निकाय में 134 सीट ट्रांसजेंडर्स के लिए चिन्हित है।

- किन्नर समुदाय के कल्याण के संबंध में विचार विमर्श के आधार पर सभी सदस्यों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि किन्नर कल्याण बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए पहचान-पत्र बनाया जाए तथा विभागीय वेबसाइट पर उनकी विवरणी अंकित की जाए।

निदेशक, समाज कल्याण द्वारा माननीय मंत्री समाज कल्याण-सह-अध्यक्ष, बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड एवं सभी आमंत्रित सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

01/08/2024

निदेशक, समाज कल्याण-सह-सदस्य सचिव,
बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड।

ज्ञापांक - 10/विविध-12/2018- 1381 पटना, दिनांक - 01-08-2024

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/अध्यक्ष बिहार राज्य महिला आयोग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/प्रधान सचिव / सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग / प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, विधि विभाग / प्रधान सचिव / सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग/प्रधान सचिव, मानव संसाधन विभाग / प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग / प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग / प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/08/2024

निदेशक, समाज कल्याण-सह-सदस्य सचिव,
बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड।

ज्ञापांक - 10/विविध-12/2018- 1381 पटना, दिनांक - 01.08.2024

प्रतिलिपि : डॉ० राजन सिंह, 502, जगदेव स्मृति, मुरलीचक, जगदेव पथ, पटना, बिहार–800014 / अनुप्रिया सिंह, 15/509, हनुमान नगर, पो०-लोहियानगर, थाना-पत्रकार नगर, पटना–800020 / शांति नायक उर्फ सुरेश हिजड़ा, नई कॉलोनी, छोटकी डेल्हा, मगध, गया / संतोष कुमार, ग्राम-मानपुर, सोनपुर, जिला-सारण, पिन-841101 / अद्विका चौधरी, तुलसी मंडी, गुलजारबाग, महारानी होटल के समीप, पटना–800007 / साजन कुमार, वार्ड सं०-05, ग्राम-कटरमाला, मुंगेर/बेगूसराय / बबली किन्नर, वार्ड सं०-43, बिशनपुर, बचनुलाल टोला, थाना-नगर, बेगूसराय–851129 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/08/2024

निदेशक, समाज कल्याण-सह-सदस्य सचिव,
बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड।